भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 539

25 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत पक्के मकान

539. डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, विशेषकर पालघर जिले में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत निर्मित किए गए आवासों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमएवाई-यू के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई मांग में से स्वीकृत आवासों की संख्या का जिला-वार, विशेषकर पालघर जिले में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

पीएमएवाई-यू का विवरण इस प्रकार है:

i. इस योजना को चार घटक अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

ii. मिशन में संपूर्ण शहरी क्षेत्र शामिल है, जिसमें सांविधिक कस्बे, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों या राज्य विधान के तहत किसी ऐसे प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विकास क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें शहरी नियोजन और विनियमन कार्य सौंपे गए हैं।

iii. पीएमएवाई-यू के अंतर्गत सभी आवासों में शौचालय, जलापूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

iv. यह मिशन आवासों का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम करके या संयुक्त नाम पर करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।

v. दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर एवं असुरक्षित वर्गों को भी प्राथमिकता दी जाती है ।

vi. एक व्यापक और मजबूत एमआईएस प्रणाली मौजूद है जो सभी हितधारकों की डिजिटलीकरण के माध्यम से विभिन्न अभिलेखों जैसे सर्वेक्षण, परियोजना सूचना, लाभार्थी विवरण, निधि उपयोग आदि को संग्रहीत करने सहित वास्तविक और वित्तीय प्रगति से संबंधित जानकारी को सहजता से प्रबंधित करने में मदद करती है। वास्तविक प्रगति की स्थिति की जानकारी रखने के लिए बीएलसी/एएचपी/आईएसएसआर के तहत सभी आवासों को जियो-टैग किया गया है।

vii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आवासों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए आधुनिक, नवीन एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी तथा निर्माण सामग्री को अपनाने की सुविधा प्रदान करने हेतु पीएमएवाई-यू के अंतर्गत एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन (टीएसएम) की शुरुआत की है।

पीएमएवाई-यू के संचालन दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/62381c744c188-Updated-guidelines-of-PMAY-U.pdf पर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग): पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने इस योजना के तहत आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। शहरी क्षेत्रों में आवासों की मांग के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के पश्चात , इन्हें केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता की मंजूरी के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 15.07.2024 तक की स्थिति

के अनुसार पीएमएवाई-यू के तहत 13.64 लाख आवासों की मंजूरी दी गई है। स्वीकृत आवासों में से, 11.16 लाख आवास निर्माणाधीन हैं जिनमें से 8.55 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान 7,87,148 लाख आवासों की मंजूरी दी गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में स्वीकृत/ निर्माणाधीन तथा पूर्ण/ लाभार्थियों को सुपुर्द आवासों का जिला-वार ब्यौरा अनुलग्नक में है।

*****

दिनांक 25-07-2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 539 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत पालघर जिले सहित महाराष्ट्र में पिछले पांच वर्षों (2019-24) के दौरान स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/सुपुर्द आवासों का जिलावार विवरण

क्र. सं.	ज़िला	शुरुआत से स्वीकृत आवास (संख्या)	पिछले पांच वर्षों (2019-24) के दौरान आवासों का निर्माण (संख्या)		
			स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण
1	अहमदनगर	22,407	14,889	16,891	15,430
2	अकोला	15,245	8,577	9,942	6,545
3	अमरावती	26,788	17,101	17,134	12,748
4	बीड	20,458	13,536	11,528	6,204
5	भंडारा	6,047	3,421	4,426	3,201
6	बुलढाना	10,366	6,712	6,322	4,408
7	चंद्रपुर	10,516	5,706	7,376	5,134
8	छत्रपति संभाजीनगर	72,366	62,443	24,484	20,946
9	धाराशिव	10,752	5,371	6,022	3,961
10	धुले	6,917	5,451	5,423	4,190
11	गढचिरोली	3,935	3,713	3,223	1,834
12	गोंदिया	7,441	4,370	3,348	2,248
13	हिंगोली	12,961	10,129	8,199	4,709
14	जलगाँव	31,232	24,458	22,695	18,554
15	जलना	14,768	8,569	10,245	5,816
16	कोल्हापुर	13,308	9,576	10,882	10,266
17	लातूर	17,030	13,684	11,140	8,378
18	मुंबई	-	-	-	-
19	मुंबई सबअर्बन	1,41,408	12,930	28,480	45,631
20	नागपुर	75,955	53,423	49,300	30,393
21	नांदेड़	29,325	16,569	19,766	14,714
22	नंदुरबार	3,821	3,036	2,902	2,109
23	नासिक	64,639	48,414	47,773	47,059
24	पालघर	79,043	28,387	45,887	29,141
25	परभनी	23,814	14,706	16,295	8,462
26	पुणे	2,23,600	1,52,442	1,51,514	1,52,318
27	रायगढ़	81,505	53,459	64,669	36,611
28	रत्नागिरि	3,841	3,093	3,086	3,003
29	सांगली	11,037	7,536	7,096	6,472
30	सतारा	24,389	18,519	11,253	8,350
31	सिंधुदुर्ग	1,643	1,502	1,538	1,112
32	सोलापुर	61,114	19,624	45,223	24,897

33	थाणे	2,03,292	1,16,579	1,38,066	1,21,943
34	वर्धा	8,811	3,544	5,759	5,393
35	वाशिम	5,109	4,031	2,723	1,924
36	यवतमाल	20,040	11,648	12,073	7,465
कुल योग		**13,64,923**	**7,87,148**	**8,32,683***	**6,81,569***

*इसमें पिछले वर्षों में स्वीकृत अवधि के दौरान निर्माणाधीन/पूर्ण हो चुके आवास शामिल हैं